

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री सलीम बेग पिता मुश्ताक बेग निवासी ग्राम जिलावड़ा, बाया श्रीनगर, जिला अजमेर

बनाम

राजस्थान सरकार

प्र.सं. 140/2020 (रे.वि.)

GEMS No: 2020/02344

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.10.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी, अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन संख्या RJ01 GB 2899 टैकर को मय उसमें भरे हुए डीजल के, वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी एवं पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा टैकर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश किए लेकिन टैकर के अन्दर जो डीजल भरा हुआ है उससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन एवं उसमें भरा डीजल प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन RJ01 GB 2899 टैकर श्री सलीम बेग पिता मुश्ताक बेग के नाम है तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ टर्मिनल पो. जालमपुरा ने अपने पत्रांक 06.10.2020 से, उक्त टैकर मैसर्स खान इन्टरप्राइजेज (पार्टनर श्री सलीम बेग) से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ टर्मिनल में अनुबंध पर होना बताया है एवं उक्त टैकर एवं उसमें भरे हुए डीजल को ट्रांसपोर्टर मैसर्स खान इन्टरप्राइजेज को सुपुर्द किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। साथ ही थानाधिकारी, महिला थाना, जिला चित्तौड़गढ़ ने भी जब्तशुदा वाहन RJ01 GB 2899 टैकर एवं उसमें भरे हुए डीजल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन RJ01 GB 2899 टैकर एवं उसमें भरे हुए डीजल का स्वामित्व प्रार्थी का है एवं जब्तशुदा वाहन RJ01 GB 2899 टैकर एवं उसमें भरे हुए डीजल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा वाहन RJ01 GB 2899 टैकर एवं उसमें भरे हुए डीजल को 30,00,000/- अक्षरे तीस लाख रुपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं।</p>	



(के.के. शर्मा)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official